

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2021/27255/ALG/ALIGARH/794/CFO
दिनांक : 29-01-2021

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **VISHWA KARMA SENIOR SECONDARY SCHOOL** पता **VILL.RAIPUR BAJNA ROAD TAPPAL,RAIPUR BAJNA ROAD TAPPAL,TAPPAL** तहसील - **KHAIR** प्लाट एरिया **8400.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **2461.54** (वर्ग मीटर), ब्लॉक की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
VISHWA KARMA SENIOR SECONDARY	3	0	10.30 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **VISHWA KARMA SENIOR SECONDARY SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आईएस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **05-02-2021** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **CHAND PRAKASH PANCHAL** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **05-02-2021** से **05-02-2024** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **VISHWA KARMA SENIOR SECONDARY SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **VISHWA KARMA SENIOR SECONDARY SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके अस्तित्व पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : The owner/occupier shall keep duly trained fire staff in all three shifts. You have to perform quarterly fire drill in your buildings as per NBC with intimation to fire department & maintain record also. For Further extension/change in structure or occupancy prior approval is needed from Fire Services if not taken, this certificate shall be considered cancelled itself.



निर्गत किये जाने का दिनांक : **05-02-2021**
स्थान : **ALIGARH**

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

VIVEK KUMAR SHARMA

A82CF6DC3674DC7EE81B43D81158ABE87F0F8CDC

05-02-2021

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.